Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या-12 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के संबंध में।

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com> Tue, Jun 3, 2025 at 4:51 PM
To: Lalita Devi <lalitadeviramapali@gmail.com>

On Tue, Jun 3, 2025 at 4:07 PM Lalita Devi <lalitadeviramapali@gmail.com> wrote:

> आदरणीय महोदय
>
> कृपया attachment देखें
>
> ललिता देवी एवं नगर पंचायत महाराजगंज सीवान की वार्ड 12 की ग्रामीण जनता

--
State Election Commission
Bihar

Received Mail.docx
12K

2576
3.6.25

Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या-12 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के संबंध में।

1 message

Lalita Devi <lalitadeviramapali@gmail.com> Tue, Jun 3, 2025 at 4:06 PM
To: "sdo.maharajganj@gmail.com" <sdo.maharajganj@gmail.com>
Cc: "dm-siwan.bih@nic.in" <dm-siwan.bih@nic.in>, comsaran-bih@nic.in, secy-sic-bih@nic.in, "secbihar@gmail.com" <secbihar@gmail.com>

आदरणीय महोदय

कृपया attachment देखें

ललिता देवी एवं नगर पंचायत महाराजगंज सीवान की वार्ड 12 की ग्रामीण जनता

DOC-20250603-WA0010.
323K

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध आपत्ति की पावती

(आपत्तिकर्त्ता की प्रति)

1. जिला– सिवान
2. नगरपालिका का नाम – नगर पंचायत महाराजगंज
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता – ललिता देवी, ग्राम-रामापाली, वार्ड-12, महाराजगंज सिवान (बिहार) मो.- 9934253382
4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) – 12
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) – 03-06-2025
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) – 02:45 PM

3/6/25

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

ललिता देवी
पार्षद
आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर
वार्ड संख्या-12
नगर पंचायत महाराजगंज
जिला- सिवान (बिहार)

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

महाराजगंज जिला- सिवान

विषय:-<u>महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्ड) के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 12 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपत्ति ।</u>

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदनपूर्वक कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के आलोक में महाराजगंज नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्डो) का परिसीमन करने के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को उक्त परिसीमन का प्रकाशन किया गया है । इस परिसीमन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कार्य में अंचल पदाधिकारी, महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं दिशानिर्देश का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है ।

दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित वार्डो के परिसीमन का अवलोकन करने के पश्चात इस सम्बन्ध में बिन्दुवार आपत्ति निम्नवत है :-

1. यह कि हम लोगो के पुराने वार्ड संख्या 12 जिसमे ग्राम पसनौली और रेलवे लाईन के पश्चिम स्थित ग्राम रामापाली का कुछ हिस्सा जो कि ग्राम पसनौली से सटा हुआ था, वह शामिल था । लेकिन नवगठित परिसीमन में पुराने वार्ड संख्या 12 के 75 प्रतिशत हिस्से को नवगठित वार्ड संख्या 16/पुराना वार्ड 13 जो कि रेलवे लाईन के पूरब स्थित है, में जोड़ दिया गया है तथा शेष 25 प्रतिशत हिस्से को नए वार्ड संख्या 15 में जोड़ दिया गया है । इस वजह से ग्राम पसनौली के लोगो को लाईन को पार कर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मतदान केंद्र पर मत डालने जाना पड़ेगा । लेकिन आम जनता की इन दिक्कतों पर ध्यान दिए बगैर बंद कमरे में बैठक कर बिना भौतिक सत्यापन किये परिसीमन तैयार कर श्रीमान को समर्पित किया गया है । इसलिए यह जांच का विषय है ।
2. यह कि यह कि पुराने वार्ड संख्या 12 के कुछ हिस्से को नवगठित वार्ड 16 में तथा कुछ हिस्से को नवगठित वार्ड 15 में जोड़ कर इसके आस्तित्व को ही समाप्त कर

दिया गया है । किसके दबाव में किसे लाभ पहुचाने के लिए पुराने वार्ड संख्या 12 के आस्तित्व को समाप्त करने का कार्य किया गया है । इसकी क्या वजह है ? यह जांच का विषय है ।

3. यह कि किन वजहों से किसके दबाव में परिसीमन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा अंचल पदाधिकारी महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में वर्णित दिशानिर्देश कि यथासंभव औसत जनसख्या 1530 के निकट रखकर सीमांकन रखा जाएगा का अनुपालन नहीं किया है । इस तथ्य की पुष्टि दिनाक 31.05.2025 को प्रकाशित परिसीमन के वार्डो की जनसंख्या के अवलोकन से भी होती है ।
4. यह कि पुराने परिसीमन में दी गयी जनसंख्या के अनुसार भी पुराना वार्ड संख्या 12 एक पृथक वार्ड होने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सारी शर्तो को पूरा करता है, फिर किस वजह से इसके आस्तित्व को समाप्त किया गया है ?

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित मेरी आपतियो की निष्पक्ष जांच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में दिए गये दिशानिदेश/मार्गदर्शिका और पुराने वार्ड संख्या 12 के जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करने की कृपा की जाय । इसके लिए मै श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

ललिता देवी

पार्षद
वार्ड संख्या-12
नगर पंचायत महाराजगंज
जिला- सिवान (बिहार)
मो०-9934253382

ब्रजेश कुमार
Mob - 9931808027
रमेश कुमार प्रसाद
Mob- 9939064816
मनोज कुमार सिंह
7041974538
संजीत कुमार
9939698247

प्रतिलिपि :

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन) -सह- जिला पदाधिकारी सिवान बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
2. प्रमंडलीय आयुक्त सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
3. निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।